झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2022

विषय सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2022

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरंत प्रवृत माना जायेगा ।

झारखण्ड अधिनियम 9 / 2001 की धारा–4 का संशोधन

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रवृत्त होने की तिथि से झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के परिच्छेद-II के अन्तर्गत धारा-4 में 500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये (झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथा प्रतिस्थापित) के स्थान पर ''1200 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

वित्तीय संलेख

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के प्रवृत्त होने के समय अर्थात् वर्ष 2001-02 में राज्य का बजटीय आकार मात्र 7114.12 करोड़ रुपये था, जबकि अब राज्य का बजटीय आकार एक लाख करोड़ से अधिक का हो गया है । राज्य के गठन से अब तक मुद्रा-प्रसार में हुई वृद्धि को देखते हुए राज्य में नयी कल्याणकारी एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति तथा अप्रत्याशित आकस्मिक घटनाओं (प्राकृतिक विपदा) से निबटने के लिए आकस्मिकता निधि की काया स्थायी रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। उक्त संशोधन से राज्य में नई कल्याणकारी एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अप्रत्याशित आकस्मिक घटनाओं (प्राकृतिक विपदा) आदि से निबटने में सहूलियत होगी|

प्रस्तावित झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पर वित्त विभाग सहमत है।

(डॉ० रामेश्वर उराँव)
भार-साधक सदस्य ।

उद्देश्य और हेतु

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के प्रवृत्त होने के समय अर्थात् वर्ष 2001-02 में राज्य का बजटीय आकार मात्र 7114.12 करोड़ रुपये था, जबकि अब राज्य का बजटीय आकार एक लाख करोड़ से अधिक का हो गया है । राज्य के गठन से अब तक मुद्रा-प्रसार में हुई वृद्धि को देखते हुए राज्य में नयी कल्याणकारी एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति तथा अप्रत्याशित आकस्मिक घटनाओं (प्राकृतिक विपदा) से निबटने के लिए आकस्मिकता निधि की काया स्थायी रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ।

तद्नुसार उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे अधिनियमित करना इस विधेयक का अभीष्ठ है ।

(डॉ० रामेश्वर उराँव)
भार-साधक सदस्य ।